भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 675
गुरुवार, 6 फ़रवरी, 2025/17 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कालीकट अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का निर्माण

675. श्री एम. के. राघवनः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कालीकट अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर रनवे एंड सेफ्टी एरिया (आरईएसए) के निर्माण में विलंब पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) उक्त विमानपत्तन पर आरईएसए के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है और कितने प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है; और
(ग) क्या सरकार ने उक्त कार्य में तेजी लाने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): कालीकट हवाईअड्डे पर रनवे के दोनों छोरों पर 240 मीटर का रनवे एण्ड सुरक्षा क्षेत्र (आरईएसए) के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने केरल राज्य सरकार को 14.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता का अनुमान प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 के अनुसार, हवाईअड्डा विकास के लिए निःशुल्क और सभी बाधाओं से मुक्त भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। नागर विमानन मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ इस मुद्दे को मार्च 2022 से कई बार पत्र-व्यवहार के माध्यम से उठाया था और राज्य सरकार ने दिनांक 19.10.2023 को 12.54 एकड़ भूमि एएआई को सौंप दी।

आरईएसए विकास के लिए कार्य दिनांक 19.02.2024 को अवार्ड किया गया था। पर्यावरण क्लियरेंस दिनांक 11.07.2024 को प्राप्त हुई थी, तत्पश्चात दिनांक 08.10.2024 को केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना मंजूरी (सीटीई) प्राप्त हुई थी।

साइट क्लियरेंस, ढहाने का कार्य, मोबिलाइजेशन और बैरिकेडिंग का कार्य पूरा हो चुका है। वर्तमान में, पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृत 75 स्थलों में से केवल 4 स्थलों के लिए ही केरल राज्य खनन एवं भूविज्ञानी विभागों से खनन की अनुमति प्राप्त हुई है।

आवश्यक अनुमतियां और क्लियरेंस प्राप्त करने के लिए एएआई संबंधित प्राधिकारियों से सक्रिय रूप से संपर्क में रहता है। साथ ही, मंत्रालय नियमित रूप से कार्य की प्रगति की निगरानी करता है तथा कार्य को समय पर पूरा करने के लिए प्रचालन संबंधी बाधाओं के समाधान में सहायता करता है।

****